न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः- 12/13/2020

अपीलार्थीः-
श्री शुभराम पुत्र श्री रामचन्द्र यादव
मु0पो0 कारोडा तहसील बहरोड अलवर।

प्रत्यर्थीः-
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त
जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

--:: निर्णय ::--

दिनांक :- 17-03-2020

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 06.01.2020 के माध्यम से पूर्व में जिला कलक्टर महोदय अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.01.20 के संबंध में आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 02.03.2020 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 338 दिनांक 25.02.20 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 06.01.20 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पत्रांक 338 दिनांक 25.02.20 से चाही गई वाछित सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपीलार्थी को अपील के अनुपालना में पूर्व में भिजवाई गई सूचना पुनः वाछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें। लोक सूचना अधिकारी के जबाव से जाहिर है कि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
5. निर्णय आज **दिनांक** 17.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
6. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर,अलवर
अलवर (राज0)